

Regarding need to create a separate category for DNT community in Caste Census-Laid

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : 1871 में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू "क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट" के अंतर्गत अनेक घुमंतू एवं पशुपालक समुदायों-जैसे धनगर, गुर्जर, डॉम, बंजारा आदि-को सामूहिक रूप से 'अपराधी जनजाति' घोषित कर दिया गया था । इस अमानवीय कानून ने इन समुदायों को पीढ़ियों तक सामाजिक बहिष्कार, उत्पीड़न और गहरी हाशियेबंदी की ओर धकेल दिया । 1952 में आयोग समिति की सिफारिश पर इस कानून को निरस्त कर इन समुदायों को 'डीनोटिफाइड' अवश्य किया गया, परंतु Habitual Offenders Act तथा 1972 के Wildlife Protection Act और 2006 के Animal Protection Act जैसे प्रावधान इनके पारंपरिक आजीविका साधनों पर आज भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं । आज भी डीनोटिफाइड, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू (DNT) समुदाय गंभीर सामाजिक भेदभाव, स्थायी निवास के अभाव, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता तथा अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे हैं । अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि- इन समुदायों की बालिकाओं में स्कूल छोड़ने की दर अत्यंत अधिक है, आधे से अधिक परिवार सालाना ₹50,000 से भी कम पर जीवन यापन करने को विवश हैं, अधिकांश परिवारों के पास जाति प्रमाणपत्र, पहचान-पत्र या राशन कार्ड तक नहीं होते, जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं । इनकी आर्थिक गतिविधियाँ अनौपचारिक, अल्पदक्ष और अत्यंत कम आय वाली हैं, जिससे इनकी सामाजिक प्रगति बाधित रहती है । जातिगत जनगणना में DNT समुदायों की अलग और स्पष्ट श्रेणी में गणना की जाए इन समुदायों के लिए उप श्रेणी आधारित आरक्षण व्यवस्था बनाई जाए, तथा इनके समग्र विकास, संरक्षण और पुनर्वास हेतु एक समर्पित केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की जाए ।